

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 6.11.2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में लातेहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिका के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय के कारण कुल 2,12,12,412/- (दो करोड़ बारह लाख बारह हजार चार सौ बारह) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-109(6)ब दिनांक-02.11.2018 एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-805(नि) दिनांक-16.04.2025 एवं पत्रांक-2073(नि) दिनांक-11.08.2025 के क्रम में लातेहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिका के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय के कारण राज्य योजना मद से कुल 2,12,12,412/- (दो करोड़ बारह लाख बारह हजार चार सौ बारह) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-109(6)ब दिनांक-02.11.2018 द्वारा में लातेहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिका के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल राशि 10,89,37,800/- (दस करोड़ नवासी लाख सैंतीस हजार आठ सौ) रुपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-805(नि) दिनांक-16.04.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में निगम द्वारा संवेदक के साथ 10,88,81,019/- रुपये की दर पर एकरारनामा किया गया था। निर्माण कार्य की प्रगति काफी धीमी रहने के कारण कार्य के संवेदक को निगम द्वारा भविष्य में आमंत्रित की जानेवाली निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) कर दिया गया है। साथ ही संवेदक द्वारा किये गये एकरारनामा को विखण्डित करते हुए अवशेष कार्य हेतु पुनः निविदा करते हुए नए संवेदक के साथ कुल-9,88,51,000/- रुपये की लागत पर एकरारनामा किया गया है। निगम के पत्रांक-2073(नि) दिनांक-11.08.2025 द्वारा योजना से संबंधित तुलनात्मक विवरणी एवं चेकलिस्ट उपलब्ध कराया गया है। कार्य के एकरारनामा की राशि, एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी के कारण लागत राशि में वृद्धि तथा निगम का संचालन अनुदान की राशि को जोड़ने पर कार्य की कुल लागत राशि 13,01,59,212/रु० होता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 19.47 % अधिक है। योजना की विवरणी निम्नवत है:-

क्र०सं०	विवरणी	राशि (रुपये में)
1	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	10,89,37,800

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्र०सं०	विवरण	राशि (रूपये में)
2	एकरारनामा की राशि	9,88,51,000
3	योजना की कुल लागत राशि	13,01,50,212
4	प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि की राशि	2,12,12,412
5	प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि का प्रतिशत	19.47 %

4. योजना में प्रशासनिक स्वीकृत राशि से वृद्धि की राशि 2,12,12,412 है, जो मूल स्वीकृत राशि से 19.47 % अधिक है। अतएव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०-1269 दिनांक-21.09.2023 की कंडिका-4 के आलोक में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल प्रशासनिक स्वीकृति से कुल 2,12,12,412/- (दो करोड़ बारह लाख बारह हजार चार सौ बारह) की वृद्धि के कारण व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

5. प्रशासनिक स्वीकृति से अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 2,12,12,412/- (दो करोड़ बारह लाख बारह हजार चार सौ बारह) रुपये का आवंटन अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. प्रशासनिक स्वीकृति से अतिरिक्त राशि का विकलन राज्य योजना अंतर्गत मुख्यशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय (796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)-48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्कृष्ट-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210-01-110(796 सहित)- 48-01-05-45) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्यशीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियाँ में करेंगे।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

9. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व होगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

11. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियन्ता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा।

12. विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-109(6)ब दिनांक-02.11.2018 की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

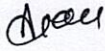
विश्वासभाजन,

41(5)210
06/11/2025

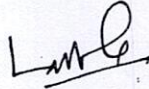
(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:

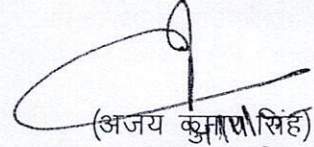
1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
4. उपायुक्त, लातेहार।
5. सिविल सर्जन, राँची/लातेहार।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव



(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव



(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव